2026:CGHC:3771

**अप्रतिवेद्य**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

निर्णय सुरक्षित दिनांक–09/01/2026

निर्णय उद्घोषित दिनांक–22/01/2026

**दोषमुक्ति अपील क्रमांक–312/2025**

- हरजीत सिंह राठौर पिता–बिहारीलाल राठौर, उम्र–लगभग 35 वर्ष, निवासी–भदौरा, पुलिस थाना–गौरेला, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छत्तीसगढ़

**-----अपीलार्थी/परिवादी**

**विरूद्ध**

- अनिल त्रिपाठी पिता–मुचकुंद मुरारी त्रिपाठी, उम्र–लगभग 33 वर्ष, निवासी–ग्राम गोरखपुर कन्हारी रोड, पुलिस थाना–गौरेला, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छत्तीसगढ़

**-----उत्तरवादी/अभियुक्त**

---

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी/परिवादी द्वारा | : | श्री योगेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता । |
| उत्तरवादी/अभियुक्त द्वारा | : | श्री अमित कुमार चाकी, अधिवक्ता । |

---

**माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश**

**!! सी.ए.वी. निर्णय !!**

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–419(4) के तहत प्रस्तुत इस अपील में अपीलीय न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा

आपराधिक अपील क्रमांक–14/2024 "अनिल त्रिपाठी (अभियुक्त) **विरुद्ध** हरजीत सिंह राठौर (परिवादी)" में पारित निर्णय दिनांक–01/02/2025 की वैधता को चुनौती दी गई है । उक्त निर्णय के अंतर्गत विचारण न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेण्ड्रारोड, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छत्तीसगढ़ द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–749/2018 "हरजीत सिंह राठौर (परिवादी) **विरुद्ध** अनिल त्रिपाठी (अभियुक्त)" में पारित निर्णय दिनांक–13/03/2024 को अपास्त किया गया, जिसके तहत अभियुक्त को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध में दोषसिद्ध कर 03 माह के साधारण कारावास तथा 12,00,000/– रूपये के प्रतिकर से दण्डित किया गया था । इसके पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया, जिस दोषमुक्ति को इस अपील में परिवादी द्वारा चुनौती दी गई है ।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी हरजीत सिंह राठौर का परिवाद इस प्रकार रहा कि अभियुक्त अनिल त्रिपाठी, त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन का प्रोपराइटर है, जो अपने नाम पर शासन से निर्माण कार्यों के ठेके प्राप्त करता है और उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा–चाकघाट, मध्यप्रदेश में खाता है । उक्त खाते पर ही ठेका देने वाले संबंधित विभागों द्वारा अभियुक्त को रकम की अदायगी की जाती है । परिवादी हरजीत सिंह राठौर भी भवन एवं पुल आदि निर्माण कार्य उप–ठेके के रूप में करता है । अभियुक्त ने उसे निर्माण कार्य उप–ठेके पर दिया था, जिसे उसने पूर्ण कर दिया । इसके लिए उसे अभियुक्त अनिल त्रिपाठी से 12,00,000/– रूपये प्राप्त करने थे । इस संदर्भ में अभियुक्त ने दिनांक 10/10/2018 को 12,00,000/– रूपये का प्रश्नाधीन चेक (प्रदर्श पी–1) परिवादी के पक्ष में जारी किया । परिवादी ने उक्त चेक भुगतान हेतु आईडीबीआई बैंक, शाखा–पेण्ड्रा में जमा किया, किन्तु दिनांक 17/10/2018 को बैंक के ज्ञापन (प्रदर्श पी–2) द्वारा उसे

सूचित किया गया कि अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण भुगतान संभव नहीं है। इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा जारी प्रदर्श पी–1 का चेक अनादरित हो गया। परिवादी ने इस संबंध में पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 06/11/2018 को विधिक सूचना (प्रदर्श पी–3) अभियुक्त को प्रेषित किया, जिसकी पोस्टल रसीद (प्रदर्श पी–4) है, और 15 दिन के भीतर राशि की मांग की। बावजूद इसके, अभियुक्त द्वारा भुगतान नहीं किया गया व नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। परिणामस्वरूप, परिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29/11/2018 को लिखित परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की गई।

3. विचारण न्यायालय में अपराध विवरण पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पश्चात्, परिवादी हरजीत सिंह राठौर का परीक्षण कराया गया, जिसने समर्थन में प्रदर्श पी–1 से लेकर प्रदर्श पी–4 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किए। धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में उसने अपने विपरीत साक्षियों के कथनों को अस्वीकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित एवं प्रामाणिक हैं। अतः धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

4. विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष को अभियुक्त अनिल त्रिपाठी द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक–14/2024 में चुनौती दी गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि धारा–139 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अंतर्गत प्रथमतः परिवादी को यह

प्रमाणित करने का दायित्व है कि प्रश्नाधीन चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः अथवा भागतः उन्मोचन के लिए अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था । चूँकि परिवादी इस तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा, अतः अपीलीय न्यायालय ने परिवाद मामले को प्रमाणित न मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के निर्णय को अपास्त कर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । इसी दोषमुक्ति को परिवादी द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है ।

5. अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त का परिवादी के साथ पुराना परिचय रहा है । परिवादी ने साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि अभियुक्त ने दायित्व के उन्मोचन के लिए प्रश्नाधीन प्रदर्श पी–1 का चेक जारी किया था, जिसका खंडन करने में अभियुक्त असफल रहा । परिवादी ने विधिक सूचना का कोई जवाब नहीं मिलने का भी उल्लेख किया । धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त के कथन में उक्त चेक जारी करने संबंधी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया और बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रहा और धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार अभियुक्त द्वारा दायित्व के उन्मोचन हेतु ही चेक जारी किया जाना प्रथमतः प्रमाणित हुआ । इसलिए धारा–118 एवं 139 के तहत उपधारणा परिवादी के पक्ष में बनती है, जिसे अभियुक्त खण्डित करने में असफल रहा । विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश का निर्णय उचित है । अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया दोषमुक्ति का निर्णय विधि की दृष्टि से उचित नहीं है । विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के समर्थन में **Rajesh Jain v. Ajay Singh (2023) 10 SCC 148** का हवाला दिया और निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय का दोषमुक्ति का

निर्णय अपास्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश को पुष्ट किया जाए ।

6. उत्तरवादी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत के तथ्य पूर्णतः भिन्न हैं । विचारणीय मामले में न तो अभियुक्त ने कथित चेक पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है, न उसने चेक जारी करना स्वीकार किया, और न ही परिवादी ने यह प्रमाणित किया कि वह स्वयं ठेकेदार है । न ही इस बाबत कोई साक्ष्य है कि अभियुक्त ठेकेदार है या वह त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन का प्रोपराइटर है, अथवा शासन द्वारा त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन को निर्माण कार्य का ठेका दिया जाता था । न ही यह प्रमाणित हुआ कि त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन द्वारा परिवादी हरजीत सिंह राठौर को उप ठेके पर कार्य दिया गया था । साथ ही, प्रश्नाधीन चेक (प्रदर्श पी–1) पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य किसी निर्माण कार्य संबंधी अनुबंध या लेन–देन का साक्ष्य है । अतः धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत परिवादी पर जो प्रथमतः साक्ष्य भार था, वह परिवादी द्वारा निर्वहन नहीं किया जा सका । इसलिए उसके पक्ष में विधिक उपधारणा नहीं बनती । इस स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निष्कर्ष विधि की दृष्टि से उचित है । इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाए ।

7. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया तथा अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया ।

8. धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधान निम्नवत हैः–

> "138. **खाते में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चेक का अनादरण. –** जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के

लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि [दो वर्ष] तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चेक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगाः

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक –

(क) xxxxxxxxxx

(ख) xxxxxxxxxx

(ग) xxxxxxxxxx

**स्पष्टीकरण.**–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" से विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है ।"

9. उपधारणा के संबंध में धारा–118 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का प्रावधान निम्नवत हैः–

"**118. परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएँ.** – जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएँ की जाएँगी –

(क) **प्रतिफल के विषय में.** – यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी;

(ख) **तारीख के बारे में.** – यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी;

(ग) **प्रतिग्रहण के समय के बारे में. –** यह कि हर प्रतिगृहीत विनिमय–पत्र उसकी तारीख के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहीत किया गया था;

(घ) **अन्तरण के समय के बारे में. –** यह कि परक्राम्य लिखत का हर अन्तरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था;

(ङ) **पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में. –** यह कि परक्राम्य लिखत पर विद्यमान पृष्ठांकन उस क्रम में किए गए थे जिसमें वे उस पर विद्यमान हैं;

(च) **स्टाम्प के बारे में. –** यह कि खोया गया वचन–पत्र, विनिमय–पत्र या चेक सम्यक् रूप से स्टाम्पित था;

(छ) **यह की धारक सम्यक्–अनुक्रम–धारक है. –** यह कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक्–अनुक्रम–धारक है, परन्तु जहाँ कि लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है अथवा उसके रचयिता या प्रतिगृहीता से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए अभिप्राप्त की गई है वहाँ यह साबित करने का भार कि धारक सम्यक्–अनुक्रम–धारक है, उस पर है ।"

10. धारा–139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधान निम्नवत हैः–

"139. **धारक के पक्ष में उपधारणा–**जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा–138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है ।"

11. न्यायदृष्टांत **John K. Abraham v. Simon C. Abraham & Another, (2014) 2 SCC 236** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा–118 सहपठित धारा–139 के अंतर्गत उपधारणा लागू होने से पूर्व परिवादी पर यह दायित्व होता है कि वह अभियुक्त को राशि देने की अपनी वित्तीय क्षमता, प्रश्नाधीन चेक का विधिसम्मत दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी होना तथा

अभियुक्त की भुगतान बाध्यता को प्रमाणित करे; अन्यथा वैधानिक उपधारणा आकर्षित नहीं होती, जिसके संबंध में कण्डिका–9 निम्नानुसार हैः—

> **"9.** It has to be stated that in order to draw the presumption under Section 118 read along with Section 139 of the Negotiable Instruments Act, the burden was heavily upon the complainant to have shown that he had the required funds for having advanced the money to the accused; that the issuance of the cheque in support of the said payment advanced was true and that the accused was bound to make the payment as had been agreed while issuing the cheque in favour of the complainant."

12. उपरोक्त विधिक प्रावधान और न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श पी–1 (प्रश्नाधीन चेक), प्रदर्श पी–2 (बैंक ज्ञापन), प्रदर्श पी–3 (विधिक सूचना पत्र) और प्रदर्श पी–4 (डाक रसीद) के अतिरिक्त परिवादी की ओर से अन्य कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है । इसके अतिरिक्त, धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त ने ऐसा कोई कथन नहीं दिया जिसे स्वीकारोक्ति माना जा सके । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने न तो प्रश्नाधीन चेक (प्रदर्श पी–1), परिवादी को जारी करना स्वीकार किया और न उसमें अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया तथा उसने विधिक सूचना पत्र (प्रदर्श पी–3) के प्राप्त होने से भी इनकार किया और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया ।

13. जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **Rajesh Jain (पूर्वोक्त)** का प्रश्न है, उस मामले में परिवादी के समर्थन में बैंक अधिकारी का परीक्षण कराया गया था तथा जिस साक्षी के समक्ष करार हुआ था उसका भी परीक्षण किया गया था । इसके अतिरिक्त, परिवादी के बैंक खाते का पासबुक पेश किया गया था और परिवादी के खाते का विवरण भी प्रस्तुत

किया गया था । धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में अभियुक्त ने ऋण लेना भी स्वीकार किया था । जबकि वर्तमान परिवाद मामले में उपरोक्त चार दस्तावेजों (प्रदर्श पी–1 से पी–4) के अतिरिक्त परिवादी की ओर से कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

14. परिवादी हरजीत सिंह राठौर का एकमात्र परीक्षण हुआ है, जिसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि अभियुक्त अनिल त्रिपाठी ही त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन का प्रोपराइटर है । साथ ही उसने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन को शासन से निर्माण कार्य हेतु ठेका प्राप्त होता था । न ही उसने यह प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया कि त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन द्वारा उसे निर्माण कार्य उप–ठेकेदारी पर दिया गया था ।

15. परिवादी ने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि वह स्वयं ठेकेदार है तथा उसके पास ठेका संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र है । उसने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन द्वारा उसे निर्माण कार्य उप–ठेके पर देने का कोई लिखित करार हुआ हो । यद्यपि उसने मौखिक करार की बात कही, परंतु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि निर्माण कार्य किस स्थान पर करने को दिया गया, वह कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, कितनी राशि में अनुबंध हुआ तथा क्या निर्माण करना था । इसी प्रकार, उसने इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि जिस राशि के संबंध में प्रश्नाधीन चेक जारी किया गया, उस निर्माण कार्य को उसने पूर्ण कर दिया था । परिवादी ने त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन से हुए लेनदेन और हिसाब–किताब संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अंततः, कंडिका–8 में परिवादी ने यह कहा कि उसने अभियुक्त के लिए 40,00,000/–रूपये के निर्माण कार्य

किए, जिसमें कुछ राशि प्राप्त हुई और शेष के संबंध में प्रश्नाधीन चेक जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में परिवादी के लिए यह प्रमाणित करना आसान था कि जो राशि अभियुक्त ने पहले प्रदान की थी, उसका संबंधित हिसाब–किताब या खाता विवरण प्रस्तुत करता, जो परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां तक कि परिवादी ने ऐसा स्पष्ट कथन भी नहीं किया है कि प्रश्नाधीन चेक, प्रदर्श पी–1, पर अभियुक्त के ही हस्ताक्षर है।

16. अभियुक्त ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत सुझाव का खंडन करते हुए यह तथ्य पूर्णतः इनकार किया कि उसने परिवादी को कोई चेक जारी किया या उसे ठेके पर कोई निर्माण कार्य करने के लिए दिया।

17. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य–विवेचना, विधिक प्रावधान तथा न्यायदृष्टांत के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि परिवादी अपने प्रथम प्रमाण भार का निर्वहन करने में असफल रहा, अर्थात यह स्थापित नहीं कर सका कि कथित प्रश्नाधीन चेक किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए अभियुक्त द्वारा उसके पक्ष में जारी किया गया था। ऐसी दशा में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा–118 तथा धारा–139 के तहत परिवादी के पक्ष में उपधारणा नहीं बनती। तथ्यों की भिन्नता के कारण न्यायदृष्टांत **राजेश जैन (पूर्वोक्त)** का समर्थन अपीलार्थी/परिवादी को नहीं मिलता।

18. इस आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अंकित दोषमुक्ति का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत अथवा विरोधाभासी नहीं है और प्रश्नाधीन दोषमुक्ति के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता या अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती, इसलिए उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाई जाती।

2026:CGHC:3771

19. अतः दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य न होने से **खारिज** की जाती है ।

20. निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक वापस प्रेषित हो ।

सही/–
**(संजय कुमार जायसवाल)**
**न्यायाधीश**

पोमन